

प्रारूप-18

परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू-सुमाड़ी मोटर मार्ग का धरिगांव होते हुए अमधार तक विस्तार।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


J. E.


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

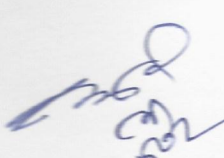

अभिभासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

ह०/-

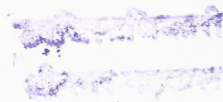
प्रयोक्ता एजेन्सी

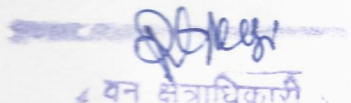
ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी


नायब तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल






वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर राजि (सिविल)


प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सौरभ, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)


जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)